बेरोजगारी

बेरोजगारी एक सामाजिक अभिशाप है। किसी भी देश के लिए बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर तथा जटिल समस्या है। भारत में बेरोजगारी गरीबी की तरह एक अभिशाप है। यदि आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना है तो हमें गरीबी और बेरोजगारी का दुश्चक्र तोड़ना होगा। भारत में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है और समय के साथ निरंतर यह बढ़ती भी रही है। वस्तुतः बेरोजगारी का भारत में व्यापक विस्तार है। कोई भी क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नहीं है।

बेरोजगारी का अर्थ कि जब देश में कार्य करनेवाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य और इच्छुक हैं परन्तु जिन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता उन्हें 'बेकार' या 'बेरोजगार' कहते हैं।

बेरोजगारी का स्वरूप :—

भारत एक विकासशील किन्तु अल्पविकसित देश है। इस कारण यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप आँकड़ों की दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों से भिन्न है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक किस्म की है। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों की संख्या की तुलना में रोजगार की मात्रा न केवल कम है, बल्कि यह कमी देश की अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। चूंकि देश में पूंजी निर्माण की दर नीची है। इसलिए रोजगार की मात्रा भी कम है।

प्रोफेसर केन्स के अनुसार — "जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाता है, चाहे वह कम नकद मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तब इस अवस्था को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं।"

Scanned with CamScanner

* लार्ड कीन्स के अनुसार "किसी भी विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण सामर्थ मांग का अभाव है। अर्थात् ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्थाओं में मशीनें बेकार हो जाती है। और श्रम की मांग, उद्योगों के उत्पादन की मांग कम हो जाने के कारण गिर जाती है। लेकिन यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा की अल्पविकसित देशों में कीन्स के विचारों के अनुसार बेरोजगारी समर्थ मांग के अभाव से उत्पन्न नहीं होती बल्कि यह पूंजी या अन्य अनुपूरक साधनों के अभाव से उत्पन्न ~~नहीं होती बल्कि~~ होती है। विकसित देशों में बेरोजगारी की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में देश बेरोजगारी के स्वरूप को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।" भारत में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है और इसका स्वरूप दीर्घकालीक है।"

बेरोजगारी के प्रकार

मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। किन्तु यह विभिन्न ~~स्वरूपों~~ रूपों में देखने को मिलती है भारत में बेरोजगारी के प्रकार निम्नलिखित है:—

- **प्रच्छन्न बेरोजगारी** → इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि कार्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह फालतू या अनावश्यक श्रम जिसकी कृषि क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है।

- **अल्प-रोजगार** :— इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते है जो की उत्पादन कार्य में लगे हुए होते है लेकिन उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। अर्थात् ऐसे श्रमिक जो उत्पादन में योगदान तो करते है लेकिन उतना नहीं जितना वो कर सकते है।"

Scanned with CamScanner

मौसमी बेरोजगारी :-

बहुत से श्रमिक ऐसे होते है जो पूरे वर्ष काम नही कर पाते है खासकर कृषि से संबंधित श्रमिक। जैसे फसल की कटाई के बाद और बुवाई से पहले। दूसरे शब्दो मे भारत मे बहुत से कृषको को वर्ष मे कुछ समय ही काम मिल पाता है और शेष समय मे वो खाली या बेकार हो जाते है। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।

खुली बेरोजगारी :-

इस प्रकार की बेरोजगारी वह है जिसमे यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए तैयार भी होता है तथा उसमे काम करने की योग्यता भी होती है परन्तु उसे काम नही मिलता है।

शिक्षित बेरोजगारी :-

ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण-प्रशिक्षण मे बड़ी मात्रा मे संसाधन इस्तेमाल किये जाते है और उनकी काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिको से अधिक होती है किन्तु उनको अपनी योग्यतानुसार काम नही मिलता उन्हें शिक्षित बेरोजगार कहते हैं।

औद्योगिक बेरोजगारी :-

इसके अंतर्गत उन व्यक्तियो को शामिल किया जाता है। जो खनिज, उद्योगो यातायात, व्यापार निर्माण आदि व्यवसायो मे काम करने के इच्छुक है, किन्तु उन्हे काम नही मिलता।

चक्रीय बेरोजगारी :-

यह बेरोजगारी व्यापार-चक्र के उस चरण से उत्पन्न होती है, जबकि व्यापार क्षेत्र मे मन्दी की स्थिति आती है।

संरचनात्मक बेरोजगारी :-

संरचनात्मक बेरोजगारी वह स्थिति है जो देश की आर्थिक संरचना मे परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है।

~~सघर्षात्म~~ सघर्षात्मक बेरोजगारी :-

इस प्रकार की बेरोजगारी श्रमिकों की गतिशीलता मे बाधा के कारण उत्पन्न होती है।

Scanned with CamScanner

Q.3 बेरोजगारी के कारण क्या है?—

भारत मे बेरोजगारी की स्थिति अत्यंत गंभीर है। यह विकास को अवरुद्ध करता है। भारत मे बेरोजगारी के कारण निम्नलिखित है:—

(i) धीमा आर्थिक विकास
(ii) जनसंख्या मे तीव्र वृद्धि
(iii) कम बचत तथा निवेश
(iv) कृषि एक मौसमी व्यवसाय
(v) कुटीर तथा लघु उद्योगो का पतन
(vi) संयुक्त परिवार प्रणाली
(vii) नई तकनीकी के प्रयोग का अभाव
(viii) शिक्षा प्रणाली मे दोष

* बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम :—

* आर्थिक परिणाम :—

a) मानव शक्ति का अप्रयोग :— जिस सिमा तक देश मे लोग बेरोजगार रहते है, उस सीमा तक देश मे मानवीय साधनों का प्रयोग नही हो पाता है।

b) उत्पादन की कमी :— जिस सीमा तक मानव शक्ति प्रयोग नही हो पाता है, उस सीमा तक उत्पादन की हानि होती है।

c) पूंजी निर्माण मे गिरावट :— बेरोजगार व्यक्ति निवेश पूंजी मे वृद्धि के लिए कुछ भी आधिक्य का प्रबन्ध नही करते इससे पूंजी निर्माण की दर की क्षति होती है।

d) कम उत्पादकता :— निम्न उत्पादकता का अर्थ है भावी विकास के लिए उत्पादन से कम आधिक्य की प्राप्ति।

* सामाजिक परिणाम :

a) जीवन की निम्न गुणवत्ता :— बेरोजगारी जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती है।

b) अत्यधिक असमानता :— बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी अधिक होगी।

c) सामाजिक अशांति :— ~~असमंती~~ अशांति और आतंकवाद को कई अन्य तत्वों से प्रेरणा मिलती है परंतु बेरोजगारी एक कष्टप्रद भूमिका के रूप में अनदेखी नहीं की जा सकती है।

d) वर्ग संघर्ष — बेरोजगारी को हम समाज में है और नहीं है बांट देती है। इसके परिणामस्वरूप को संघर्ष जन्म लेता है। जो सामाजिक अशांति को और भी बढ़ावा देती है।

★ बेरोजगारी दूर करने के उपाय

i) उत्पादन में वृद्धि
ii) पूंजी निर्माण की ऊंची दर
iii) छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन
iv) स्वरोजगार में लगे लोगों को अधिक सहायता
v) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन
vi) औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन
vii) जनसंख्या पर नियंत्रण

★ बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम :

a) जवाहर रोजगार योजना :— 28 April, 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर इस योजना के अधीन कर दिया गया है।

b) रोजगार आश्वासन योजना :— 2 oct 1993 को 1,772 पिछड़े विकास खण्डों में आरंभ की गई थी। ये विकास खण्ड सूखा ग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में थे। बाद में इस रोजगार कार्यक्रम का विस्तार सभी 5,448 ग्रामीण विकास खण्डों में किया गया।

Scanned with CamScanner

(c) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :— जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर 1 सितम्बर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण योजना का गठन किया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस योजना के लागत को क्र. 87.5:12.5 में वहन करती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न है।

- ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना
- सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना का निर्माण करना
- इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू करने का प्रावधान है।

(d) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :— इस योजना का आरंभ 1 December 1997 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्परोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार तथा 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

(e) जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना इस योजना की शुरुआत में की गई। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 2002-03 में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

(f) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :— इस योजना का आरंभ 18 Nov 1993 को किया गया। इस योजना के द्वारा 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Scanned with CamScanner

(g) महिला स्वयं सिद्धा योजना :— इस योजना की शुरुआत 12 July 1995 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण करना है।

(h) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना → इस योजना को 2 feb 2006 में लागू किया गया। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारन्टी देने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करना है।

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :— प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय करके 15 August 2008. को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का गठन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- लाभार्थियों द्वारा परियोजना के चुनाव हेतु प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रदान की जाएगी।
- सूचना प्रकार प्रोजेक्ट का निर्माण इसके अंतर्गत दो से तीन सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण एवं विपणन सहयोग लाभार्थियों के आवेदनों की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग, बैकवर्ड एवं फार्वर्ड पैकेज सहायता के प्रावधान किये गये हैं।
- उद्यमियों हेतु कोलेटरल (बंधक) सुरक्षा मुक्त ऋण प्राप्त में सहायता के लिए क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना से जोड़ना।
- 10 लाख रु० से अधिक की उत्पादन परियोजनाओं तथा 5 लाख रु० से अधिक के व्यापार।
- समग्र विकास हेतु समाज के वंचित वर्ग के लिए ज्यादा सहायता।

—x—

Scanned with CamScanner